राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
प्रथम तल, कोर–IV बी, / 1st Floor, Core-IV-B,
भारत पर्यावास केन्द्र, / India Habitat Centre,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 / Lodhi Road, New Delhi-110003
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय / Ministry of Housing and Urban Affairs
दूरभाष / Phone : 011-24642284, 24642287 फैक्स / Fax : 011-24642163

K-14011/29/2007-NCRPB(XVIII) दिनांक: 23.03.2020

आदेश

जैसा कि आप जानते हैं, पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौतों (अनुबंध कैरिज) पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रयासों द्वारा दिनांक 14.10.08 को हरियाणा, एनसीटी-दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) का प्रयोग करने वाले, एनसीआर में प्रचलित यूरो नॉर्म का पालन करने वाले व एनसीआर में पंजीकृत सभी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहन एनसीआर में अप्रतिबंधित आवागमन कर सकते हैं। उक्त समझौते को एनसीआर के सभी घटक राज्यों द्वारा अधिसूचित किया गया था।

2. समझौते के पैरा 5(ii) के प्रावधानों के अनुसार, अनुबंध कैरिज के लिए समझौता अगले दस वर्षों के लिए (अर्थात, 13.10.18) तक अथवा घटक राज्यों के मध्य नए समझौते पर हस्ताक्षर होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध था।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 05.10.18 के सम्संख्यक डी.ओ. पत्रों द्वारा एनसीआर प्रतिभागी राज्यों से प्रचलित समझौते की वैधता अवधि को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति के लिए अनुरोध किया गया।

4. यह एक अनुरोध पत्र के आधार पर दिनांक 12.10.18 को अध्यक्ष, सीओटीएस द्वारा सभी एनसीआर प्रतिभागी राज्यो को आरसीटीए (अनुबंध कैरिज) की वैधता को 13.10.2018 से छह महीने बढ़ाने के लिए भेजा गया, जब तक नए आरसीटीए पर हस्ताक्षर ना हो। इस संबंध में 16.10.18 को एक आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा 14.10.08 दिनांकित समझौते को 6 माह (यानी 13.04.19 तक) के लिए बढ़ाया गया। राज्यों द्वारा अधिक समय के अनुरोध पर समझौते को 08.03.2019 के आदेश द्वारा 13.10.19 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

5. अब कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। डीओपीटी, भारत सरकार के दिनांक 19.03.2020, 20.03.2020 और 22.03.2020 के ओ.एम. के द्वारा सभी विभागों / कार्यालयों को न्यूनतम कार्मिकों के साथ काम करने के लिए कहा गया है और अधिकतर समय ई-संचार साधनो के उपयोग द्वारा घर से ही कार्य करने की सलाह दी

गई है। इस कारण इस मुद्दे पर बैठक आयोजित करना मुश्किल होगा साथ ही एनसीआर परमिट वाले सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने वाली आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए यह निदेश दिए जाते है कि अनुबंध कैरिज समझौता जो 12.04.2020 तक मान्य था और स्टेज कैरिज समझौता जो 21.04.2020 तक वैध था को गत नियम और शर्तों पर छह माह की अवधि, यानी अनुबंध कैरिज के 11.10.2020 तक और स्टेज कैरिज के लिए 20.10.2020 तक क्रमशः या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

6. तदनुसार, यह निदेशित किया जाता है कि समझौते के वर्तमान नियमों और शर्तों का पालन किया जाए तथा अगले छः माह या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एनसीआर प्रतिभागी राज्यो द्वारा यथास्थिति बनाये रखी जाये।

सादर,

ह/-

(अर्चना अग्रवाल)

सदस्य सचिव, रा.रा.क्षे.यो.बो और

अध्यक्ष, परिवहन सचिवों/आयुक्तों की समिति

(COTS)

सीओटीएस के सभी सदस्यों के लिए:

- अपर मुख्य सचिव-सह-आयुक्त, परिवहन विभाग, जीएनसीटी-दिल्ली।
- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार।
- सचिव और परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार।
- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- उप सचिव (शहरी परिवहन), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।